प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ग्राम थलमाड तक मोटर मार्ग

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम – थलमाड
तहसील– सल्ट, जिला– अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद – अल्मोड़ा –के अन्तर्गत – उपरोक्त –परियोजना के निर्माण हेतु (– 0 – हे0 आरक्षित वन भूमि, – 0.98 – हे0 सिविल सोयम भूमि 0.987 हे0, वन पंचायत भूमि – 1.218 – हे0) अर्थात कुल 2.205 हे0 वन भूमि का लो0 नि0 वि0 –विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत – थलमाड – द्वारा दिनांक 13-10-14 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम – थलमाड – के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि – लो0 नि0 वि0 –प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0 / – ग्राम सचिव ग्राम विकास अधिकारी (अल्मोड़ा)	कमला ह0 / – ग्राम प्रधान प्रधान ग्राम पंचायत – थलमाड पो0 ... विकास खण्ड – सल्ट (अल्मोड़ा)

नोट :– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र–23.1

दिनांक 13-10-2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत थलमाड़

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1–	श्री इन्द्रसिंह बिष्ट	[illegible]
2–	श्री कुवरसिंह बिष्ट	कुवरसिंह
3–	श्री आनन्दसिंह	
4–	श्री नारायण सिंह	
5–	श्री चन्दनसिंह	नारायणसिंह
6–	श्री यदिपालसिंह	[illegible]
7–	श्री अनूप सिंह	अनोपसिंह
8–	श्री देवसिंह	[illegible]
9–	श्री हीरासिंह	हीरासिंह
10	श्री बलवन्तसिंह	बलवन्तसिंह
11	श्री महेन्द्रसिंह	
12	श्री रामसिंह	
13	श्री गोपालसिंह	
14	श्री नरसिंह	नरसिंह
15	श्री मानसिंह	MSingh
16	श्री भीमसिंह	
17	श्री उमरावसिंह	
18	श्री आनन्दसिंह	BSingh
19	श्री दिनेशसिंह	
20	श्री चन्दनसिंह	[illegible]

21 श्रीमती वसन्ती देवी
मालगुजार (प्रधान)

प्रधान कमला

ग्राम पंचायत – थलमाड
ह0 /– पो0 ओ0 देवायल
ग्राम प्रधान
विकास खण्ड – सल्ट (अल्मोडा)

प्रारुप–23

परियोजना का नाम :– जनपद अल्मोड़ा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के गांव देवायल मोटर मार्ग का नव निर्माण

वन अधिकार अधिनियम,2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण –पत्र

ग्राम पंचायत का नाम – देवायल

तहसील सल्ट जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत उपरोक्त परियोजना के निर्माण हेतु (............ हे0 आरक्षित वन भूमि ....x.... हे0 सिविल सोयम भूमि 0.987 हे0 वन पंचायत भूमि 1.218 हे0) अर्थात कुल 2.205 हे0 वन भूमि का लो0 नि0 वि0 विभाग /संस्था के पक्ष में भारत सरकार ,पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत देवायल द्वारा दिनांक 13-10-014 को सम्पन्न ग्राम सभा /ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम,2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम देवायल के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो0 नि0 वि0 प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतू दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं हैं ।

प्रधान
ग्राम पंचायत देवायल
वि0ख0 सल्ट (अल्मोड़ा

Created 16/03/2014
ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम प0 Hulmad
वि0 ख0 Salt

ग्राम प्रधान /सरपंच
मुहर सहित

प्रारुप –23.1

दिनांक 13-10-2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत देवायल

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ट की ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	जीवन सिंह	जीवन
2	जोगा सिंह	जोगा सिंह
3	रणजीत सिंह	रणजीत
4	भरत सिंह	भरतसिंह
5-	खुशाल सिंह	खुशालसिंह
6	जगत सिंह	जगत
7	कुन्दन राम	कुन्दन

प्रधान
ग्राम पंचायत देवायल
वि0ख0 सल्ट (अल्मोड़ा

ग्राम प्रधान / सरपंच

Copy of Hari Singh.doc-17

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :–

कार्यालय उप जिलाधिकारी, सल्ट

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, ————

उपखण्ड सल्ट परिक्षेत्र के अन्तर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ग्राम धलमाड़ (—— हे0 आरक्षित वन भूमि, —— हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि ....हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल ——— हे0 वन भूमि) का —————— प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील सल्ट) की दिनांक 13-10-014 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ————, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री ———— उपजिलाधिकारी सल्ट ———— अध्यक्ष
2– श्री ———— उप प्रभागीय वनाधिकारी रानीखेत ———— सदस्य
3– श्री ———— सहायक समाज कल्याण अधिकारी ———— सदस्य/सचिव
4– श्री रामसिंह बी0डी0सी0 क्षेत्र देवायल ———— सदस्य

सदस्य क्षेत्र पंचायत देवायल विकास खण्ड सल्ट (अल्मोड़ा)

Ram Singh

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि – स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ग्राम धलमाड़ ———— ———— परियोजना हेतु............हे0 वन भूमि ———— ————— प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

SWAD... A.S.W.O. SALT ALMORA

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, रानीखेत द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड .... परिक्षेत्र के अन्तर्गत .... परियोजना के निर्माण हेतु .... हे0 वन भूमि .... प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– ....
जनपद ....

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, ... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– ....
जनपद ....

प्रपत्र–23.4

परियोजना का नाम :– स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ग्राम-खल्याड़ तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत प्रस्तावित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ग्राम-खल्याड़ परियोजना के निर्माण हेतु 2.205 हे0 राज्य सेक्टर वन भूमि लो0नि0वि0 (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11–9/98–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2013 के द्वारा रेखाकार (**linear**) प्रयोजनों यथा–सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओ0एफ0सी0 केबिल व पाईपलाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (**Primitive Tribal Groups**) व आदिकालीन कृषि समुदाय (**Pre Agriculural Tribal Groups**) प्रभावित नही हो रहे हैं।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

जिलाधिकारी

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Vinod Kumar Suman. I.A.S. Deputy Commissioner. Almora on date...16.01.15..................at time..6:00 PM..............at Almora. in which application claiming rights of .... area measuring 2.205 hect. for the Construction of .Swatntra Sangram Villge. Thalmar........ of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Almora sub division were discussed to conside the same of admission by the district level committee.

After serutiny of the documents and detailed discussions. no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above for diversion of land for the said purpose.

Place : Almora

Date :

जिला अधिकारी
अल्मोड़ा
16/1/15

Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)

It is further certified that

S.N.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire 2205 het. of forest area proposed for diversion/copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights committee(s) and the District level Committee are enclosed annexure 1 to annexure.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribus and other Traditional forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for Facilities managed by the Goverment as required under section 3(2) of the FRA have been Complete and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers there is no objection certificate of concerned motor road is affixed in the forest file
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and preagricultural communities.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Encl:As above

16/01/15

जिला अधिकारी
Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)

FORM-1
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector : Rudraprayag

No :.................................... **Dated:...............**

TO WHOMSOEVENT IT MAY CONCEREN

In Compliance of the Ministry of Enviroment and Forest(MoEF), Government of India's letter No:- 11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers)Rocognitation of Forest Right, Act 2006(FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 23013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of liner projects. It is certified that 2.265 ....hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Rural Development Dept., Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of Swtntrta Sangram Senanis village Thalmar Road .... (Purpose for diversion of forest land) in Almora ......district falls within jurisdiction of Thalmar village(s) in Salt ....Tehsils.

It is further Certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.265 .Hactares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights Committee(s), Gram sabha(s), Sub-Division Level committee(s) and District Level Committee are enclosed as annexure I to-annexure.

(b) The diversion of forest land for facilties managed by the Government as required under section 3(2) to the FRA have completed and the Gram sabhas given their consent ot it.

(c) The proposal dose not involve recognized of primitive Trible Groups and pre-agricultural communities.

Encl:As above

16.9.15
जिला अधिकारी
Signature
अल्मोड़ा
(Full name of the official seal of the District Collector)